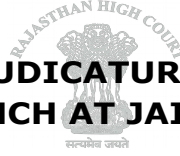




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13490/2025
Dinesh @ Vikram S/o Shyopal, Aged About 27 Years, R/o Naya
Kuaa, Tan Mau, Police Station Srimadhopur, District Sikar,
Rajasthan. (At present accused-petitioner confined in Sub Jail
Neema Ka Thana)

-----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vidhut Kumar Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Arpan Kumar Sharma with Ms. Priyanka

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

10/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना श्री माधोपुर जिला सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 310/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 324(2), 109(1), 304(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। आहत के शरीर पर चोट साधारण प्रकृति की है तथा अर्जुन लाल के भी केवल दाएं हाथ की अंगुली में गंभीर प्रकृति की चोट है, बाकी सारी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और उक्त गंभीर प्रकृति की चोट भी प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कारित नहीं की गई है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ



मिलकर आहतगण के शरीर पर चोट कारित की। लोहे का सरिया प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद किया गया है। आहतगण के सिर पर व शरीर के विभिन्न भागों पर काफी चोटें आई हैं, जो फोटोग्राफ से साबित होती हैं, अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम घटना की रिपोर्ट में नहीं है। आहतगण के धारा 180 बीएनएसएस के बयान को दृष्टिगत करें तो प्रार्थी/अभियुक्त ने अर्जुन लाल कुमावत के दाएं हाथ के अंगुली पर चोट नहीं पहुंचाई है, केवल उक्त चोट गंभीर प्रकृति की बताई गई है। आहतगण की अन्य समस्त चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई है। आहतगण के शरीर पर आई चोटें प्राणघातक नहीं हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश उर्फ विक्रम पुत्र श्योपाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J